## <u>न्यायालय-श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

<u>आप.प्रक.कमांक-409 / 2014</u> संस्थित दिनांक-19.05.2014 फाईलिंग क.234503000322014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बिरसा,
जिला—बालाघाट (म.प्र.) — — — — — — — — — <u>अभियोजन</u>
// <u>विरूद</u> //

1—नरेन्द्र उरकुड़े पिता मधुप्रसाद उरकुड़े, उम्र—31 वर्ष, जाति नाई, निवासी—ग्राम मरारीटोला, थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

2—सुरेन्द्र उरकुडे पिता मधुप्रसाद उरकुड़े, उम्र—28 वर्ष, जाति नाई, निवासी—ग्राम मरारीटोला, थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

3—मधुप्रसाद उरकुड़े पिता हन्दुलाल उरकुड़े, उम्र–52 वर्ष, जाति नाई, निवासी–ग्राम मरारीटोला, थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

4—सुशीलाबाई पति मधुप्रसाद उरकुड़े, उम्र—48 वर्ष, जाति नाई, निवासी—ग्राम मरारीटोला, थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

5—दीपमाला पति संतोष लांजेवार, उम्र—25 वर्ष, जाति नाई, निवासी—ग्राम मरारीटोला, थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

6—खुशबू पति जितेन्द्र पोंगड़े, उम्र—21 वर्ष, जाति नाई, निवासी—ग्राम मरारीटोला, थाना बिरसा,

## // <u>निर्णय</u> // (आज दिनांक-03/08/2016 को घोषित)

1— आरोपीगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—498ए/34, 506 एवं धारा—3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक—17.05.2010 के 6—7 माह बाद से दिनांक—05.05.2015 के मध्य ग्राम मरारटोला, अंतर्गत थाना बिरसा में फरियादी श्रीमती संगीता उरकुड़े के पति होने के नाते फरियादी से रंगीन टी.व्ही. मोटरसायकल, गैस सिलेण्डर, फीज, सोफासेट, नगद 50,000/—रूपये की मांग कर,

फरियादी को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरतापूर्वक व्यवहार किया, फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया, फरियादी श्रीमती संगीता उरकुड़े से विवाह के पश्चात् दहेज स्वरूप रंगीन टी.वी. मोटरसाईकिल, गैस सिलेण्डर, फीज, सोफासेट, नगद पचास हजार रूपये की मांग की।

- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि पुलिस थाना लालबर्रा, जिला बालाघाट में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक कमलेश बैरागी को आवेदिका श्रीमती संगीता उरकुड़े ने शिकायतपत्र प्रस्तुत किया। आवेदिका संगीता उरकुड़े, सेवकराम के कथन लिये गए, जिस पर यह जानकारी हुई कि शादी के 6-7 माह पश्चात् आवेदिका का पति आरोपी नरेन्द्र, ससुर मधुप्रसाद, सास सुशीलाबाई, देवर सुरेन्द्र, ननद दीपमाला एवं खुशबू द्वारा आवेदिका को दहेज की मांग को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। आवेदिका ने अपने आवेदनपत्र में यह भी उल्लेख किया था कि उसका आरोपी नरेन्द्र से दिनांक-17.05.2010 को विवाह हुआ था। आरोपीगण उसे मारपीट कर परेशान करते थे और दहेज में गैस सिलेण्डर, फ्रिज, सोफासेट एवं नगदी 50,000 / –रूपये की मांग करते थे। उपरोक्त प्रताड़ना के पश्चात् आवेदिका अपने मायके आकर रहने लगी थी और लगभग दो वर्ष से वह पृथक निवास कर रही है। उपरोक्त आधार पर आरक्षी केन्द्र लालबर्रा, जिला बालाघाट में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक-0/14, भारतीय दण्ड संहिता की धारा–498(ए), 34 एवं धारा–3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, जिसे असल नंबर पर थाना बिरसा, जिला बालाघाट में अपराध क्रमांक-66 / 14 में दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया। पुलिस द्वारा गवाहों के कथन लिये गये। विवेचना के दौरान आरोपीगण के विरूद्ध धारा–506 भा.द.वि. का ईजाफा किया गया एवं आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
- 3— आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—498(ए) एवं धारा—3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। फरियादी एवं आरोपीगण के मध्य राजीनामा हो जाने से शमनीय प्रकृति की धारा—506 भा.द.वि. के अपराध के आरोप से आरोपीगण को दोषमुक्त किया गया है तथा शेष धाराएं शमनीय प्रकृति की न होने से उनका विचारण किया जा रहा है। आरोपीगण ने धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वंय को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया गया होना बताया है। आरोपीगण द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई।

## 4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु है कि:-

- 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक—17.05.2010 के 6—7 माह बाद से दिनांक—05.05. 2015 के मध्य ग्राम मरारटोला, अंतर्गत थाना बिरसा में फरियादी श्रीमती संगीता उरकुड़े के पति होने के नाते फरियादी से रंगीन टी.व्ही. मोटरसायकल, गैस सिलेण्डर, फ्रीज, सोफासेट, नगद 50,000/—रूपये की मांग कर, फरियादी को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरतापूर्वक व्यवहार किया ?
- 2. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी श्रीमती संगीता उरकुड़े से विवाह के पश्चात् दहेज स्वरूप रंगीन टी.वी. मोटरसाईकिल, गैस सिलेण्डर, फ्रीज, सोफासेट, नगद पचास हजार रूपये की मांग की ?

## विचारणीय बिन्दु कमांक-1 व 2 का निष्कर्ष :--

- 5— सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी श्रीमती संगीता उरकुड़े (अ.सा.3) ने 6-अपने न्यायालीयन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को जानती है। आरोपी उसका पति है और शेष आरोपीगण उसके पति के रिश्तेदार हैं। उसका विवाह वर्ष 2010 में हुआ था। विवाह के 6 माह बाद पश्चात् आरोपी नरेन्द्र से मौखिक विवाद होने पर वह अपने घर लालबर्रा चली गई थी। उसने सूचनापत्र प्रदर्श पी-1 पुलिस अधीक्षक बालाघाट को प्रेषित किया था, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसने हस्ताक्षर किये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी दहेज की मांग को लेकर उसे परेशान करते थे और दहेज की रूप में टी.वी, मोटरसाईकिल व नगद 50,000 / –रूपये नहीं देने का ताना देते थे। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि आरोपी उसे मिट्टी तेल डालकर जला देने की धमकी देता था। साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि उसने प्रदर्शपी-1 का आवेदन व प्रदर्श पी-2 में उपरोक्त बातों का उल्लेख कराया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसका आरोपीगण से राजीनामा हो गया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसका मौखिक विवाद हुआ था। साक्षी ने स्वीकार किया कि पुलिस ने प्रदर्श पी-1 के कथन में क्या लिखा था, पढ़कर नहीं बताया था।
- 7— अभियोजन साक्षी हेमलता (अ.सा.2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि आरोपी नरेन्द्र उसका दामाद है तथा शेष आरोपीगण नरेन्द्र के रिश्तेदार है एवं फरियादी संगीता उरकुड़े उसकी पुत्री है। उसकी पुत्री का विवाह चार—पांच वर्ष पूर्व आरोपी नरेन्द्र हुआ था। लगभग एक वर्ष तक आरोपी ने उसकी पुत्री को ठीक से रखा। बाद में उसकी पुत्री ने बताया कि आरोपीगण उससे दहेज की मांग करते हैं और उसके साथ

मारपीट करते है। तीन वर्ष पूर्व उसकी पुत्री को एक पुत्र पैदा हुआ, तब से उसकी पुत्री अपने मायके में रह रही है। आरोपी तथा उसके परिवार के सदस्य उसकी पुत्री को बालाघाट से वापस ससुराल लेकर नहीं गए, तब से उसकी पुत्री मायके में रह रही है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपीगण 50,000/—रूपये नगद, गैस सिलेण्डर, फिज लेकर आने की बात फरियादी संगीता उरकुड़े से करते थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसकी पुत्री विवाद के बाद घर आ गई थी और उसने विवाद के विषय में आरोपीगण के विरूद्ध रिपोर्ट की थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपीगण ने उससे कोई भी दहेज की मांग नहीं की थी। साक्षी ने यह कहा है कि आरोपी तथा फरियादी के मध्य झगड़ा भटे की सब्जी में मटन डालने की बात से हुआ था।

अभियोजन साक्षी हुकुमचंद (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि फरियादी संगीता उरकुड़े उसकी पुत्री है, जिसका विवाह आरोपी नरेन्द्र से वर्ष 2010 में हुआ था। उसकी पुत्री के विवाह के 6-7 माह के पश्चात उसके ससुराल वाले उसकी पुत्री को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे थे यह बात उसकी पुत्री ने बताई थी। बाद में उसकी पुत्री का समझौता हो गया था। उसकी पुत्री गर्भवती हो गई थी और उसकी पुत्री के पुत्र का जन्म बालाघाट अस्पताल में हुआ था किन्तु आरोपी नरेन्द्र उसकी पुत्री को लेने नहीं आया। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसकी पुत्री ने बताया था कि आरोपीगण दहेज की मांग करते हैं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने उसे मिट्टी तेल डालकर जलाने की धमकी दी थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपीगण उसे गैस सिलेण्डर, फ्रिज, सोफासेट एवं नगद 50,000 / – रूपये की मांग करते थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उसकी पुत्री का उसके सामने कोई विवाद नहीं हुआ था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि आरोपीगण ने उसके सामने उसकी पुत्री से दहेज की मांग नहीं की थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसकी पुत्री को ससुराल में भटे की सब्जी में मटन डालने की बात को लेकर विवाद हुआ था। साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपीगण एवं उसकी पुत्री का समझौता हो गया है।

9— राजधर दुबे (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह दिनांक—08. 05.2014 को पुलिस थाना बिरसा में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उसे अपराध कमांक—66/14 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी, तब उसने फरियादी संगीता उरकुड़े से अपराध के संबंध में पूछताछ कर धारा—498—क/34 भा.द.वि. एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा—3, 4 के अंतर्गत प्रार्थिया एवं साक्षियों के बयान उनके बताए अनुसार लेख किये थे तथा गवाहों के समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—3 लगायत प्रदर्श पी—8 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर

हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया उसने गवाहों के कथन अपने मन से लेख किये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि फरियादी ने सब्जी में मछली का मांस डाल देने की बात से झगड़ा होने की बात उसे बताई थी।

प्रकरण में फरियादी संगीता ने स्वयं अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह कहा है कि आरोपीगण ने उससे दहेज की मांग नहीं की थी और न ही दहेज के रूप में गैस सिलेण्डर, फ्रिज, सोफासेट, टी.वी. और नगदी 50,000 / -रूपये की मांग की थी। फरियादी ने अपने न्यायालयीन परीक्षण स्पष्टतः इंकार किया है कि आरोपीगण उसे मिट्टी तेल डालकर जलाने की धमकी देते थे अथवा जान से मारने की धमकी देते थे। साक्षी ने उपरोक्त बातें अपने आवेदन प्रदर्श पी-1 तथा पुलिस कथन प्रदर्श पी-2 में लेख नहीं कराना व्यक्त किया। यदि साक्षी हेमलता के कथनों पर विचार करें तो, जहां उसने अपने मुख्यपरीक्षण में यह कहा है कि आरोपीगण ने उसकी पुत्री से दहेज कही मांग की थी और उसके साथ मारपीट की थी, वहीं प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि आरोपीगण ने उससे कभी दहेज की मांग की थी, यह बात उसकी पुत्री ने उसे नहीं बताई थी। इसी आशय का कथन हुकुमचंद (अ.सा.1) ने भी अपने न्यायालयीन परीक्षण में किया है। इस प्रकार प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्षी संगीता उरकुड़े (अ.सा.3) जो प्रकरण में फरियादी है, ने दहेज की मांग को लेकर आरोपीगण द्वारा प्रताडित किये जाने की बात से इंकार किया है। फरियादी संगीता उरकुड़े (अ.सा.3), हेमलता (अ.सा.2), हुकुमचंद (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण ने दहेज की मांग नहीं की थी। इस प्रकार अवैध रूप से दहेज की मांग किया जाना भी अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है। ऐसी स्थिति में आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–498ए एवं धारा–3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रहा है। अतएव आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-498ए एवं धारा-3, 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

11— प्रकरण में आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रहें है। इस संबंध में पृथक से धारा–428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

12— प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा—437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेगें।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया।

बैहर, दिनांक—03.08.2016 (श्रीष कैलाश शुक्ल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट